157

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

A 333/II/06

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० ।2006 अपील

मध्य प्रदेश राज्य मण्डार निगम
आफिस काम्प्लेक्स ब्लाक-ए गौतमनगर भोपाल
व्दारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, संजय काम्प्लेक्स जयेंद्रगंज
ग्वालियर ------ अपीलार्थी

श्री एस.के. वाजपेई, एडवोकेट
द्वारा आज दि० 24/2/06 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

24 FEB 2006

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर जिला शिवपुरी
------ प्रत्यर्थी

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग व्दारा प्रकरण क्रमांक 117।2004-2005 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-10-2005 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा-44(2) म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

अपीलार्थी निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश एवं कार्यवाही अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

24-2-2006

(2) यह कि अपीलार्थी की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील के विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु शपथ-पत्र व्दारा समर्थित परिसीमा अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था जो स्वीकार किये जाने योग्य है ।

(3) यह कि परिसीमा अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उन परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन किया गया था जिनके

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील 333–एक/06 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8-16	अपीलार्थी के अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक शासकीय पैनल अधिवक्ता श्री जादौन उपस्थित । 2/ अपीलर्थी के अभिभाषक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र0क्र0 117/अपील/04–05 में पारित आदेश दिनांक 10.10.05 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । अपीलार्थी ने अपने तर्क में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा संहिता की धारा 5 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन किया गया, जिनके कारण अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी । इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1987(2) म0प्र0 वीकली नोटस 118(पृष्ठ 155) के न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह दिशा निर्देश स्थापित किये गये है कि साधारणतः कोई पक्षकार जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं करता है, अपील अवधि के बिन्दु पर निरस्त किये जाने से पक्षकार सारगर्मित प्रकरण में न्याय पाने वे वंचित हो जाता है।	

दिन प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है, पक्षकार का उछद्देश्य देखा जाना चाहिये। अपीलार्थी में प्रकरण में यह भी कथन किया है कि उसे शासन द्वारा जो भूखण्ड गौदाम निर्माण हेतु दिया गया है, उसका भू–भाटक एवं प्राव्याजी शासन के निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाना चाहिये । अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष समय–समय पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत निवेदन भी किया गया है कि अवैध भू–भाटक के स्थान पर उचित भू–भाटक निर्धारित किया जाये । गैर अपराधिक त्रुटि के लिये संस्था को दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है । अनावेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण का निरारकण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र इस आधार पर अपीलार्थी का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया कि कलेक्टर के आदेश के संबंध में स्थानीय अधिकारियों ने मुख्यालय से मार्गदर्शन किस दिनांक को चाहा था और मुख्यालय से मार्गदर्शन कब मिला । विलम्ब के दिन प्रतिदिन का हिसाब धारा 5 आवेदन पत्र में नहीं बताया गया । म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत उदारतापूर्वक रवैया अपनाना चाहिये ताकि हितबद्ध पक्षकार को न्याय मिल सके । चूँकि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ऐसा नहीं किया गया और अपीलर्थी का अवधि विधान धारा 5 के अंतर्गत

प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जो कि अवैधानिक एवं न्यायिक दृष्टी से परे है । अतः अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायलय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें, ताकि हितबद्ध पक्षकार न्याय से वंचित न हो सकें। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य